संख्या-213/2024/533/22-2-2023-17(221)/2021

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 30 अक्टूबर 2024

विषय:-आदर्श कारागार, लखनऊ में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी श्यामसुन्दर पुत्र श्री बाबूराम, निवासी जनपद-बदायूँ की स्थायी नीति के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-2220/प्रो0/214/पार्ट-4, दिनांक 24.01.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार आदर्श कारागार, लखनऊ में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी श्यामसुन्दर पुत्र श्री बाबूराम, फतेहपुर डाल, थाना-कुढ़ फतेहपुर, जनपद-मुरादाबाद वर्तमान जनपद-सम्भल, हाल पता ग्राम-सकामई, थाना-इस्लामनगर, जनपद-बदायूँ का निवासी है। बन्दी द्वारा दिनांक 19.01.2004 को अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर मरघट सिद्ध करने हेतु 11 वर्षीय वीर सिंह नामक बच्चे की बलि चढ़ाने जैसा जघन्य एवं आपराधिक प्रवृत्ति की अन्तिम सीमा तक जाकर अबोध बालक का कत्ल किया गया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-355/2004 में भा0द0वि0 की धारा-302/34, 201 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-9, मुरादाबाद के आदेश दिनांक 17.10.2006 द्वारा मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 10.08.2007 द्वारा मृत्युदण्ड की सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 26.01.2021 तक 16 वर्ष 06 माह 21 दिन की अपरिहार सजा तथा 21 वर्ष 01 माह 15 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा उल्लिखित किया गया है कि बन्दी द्वारा 11 वर्षीय अबोध बालक का मरघट चढ़ाने के लिए नरबलि देने के उद्देश्य से बच्चे का कत्ल किया और फिर उसके मांस को जगह-जगह से नोचा गया। यह क्रूरता की हद को पार करने वाला एक नृशंस हत्या का कृत्य है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी द्वारा कारित अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता तथा समाज को प्रभावित करने वाले अपराध के दृष्टिगत सिद्धदोष बन्दी श्यामसुन्दर पुत्र श्री बाबूराम की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति समिति द्वारा नहीं की गयी है।

3- अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि आदर्श कारागार, लखनऊ में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी श्यामसुन्दर (बन्दी संख्या-17025) पुत्र श्री बाबूराम, निवासी जनपद-बदायूँ की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-213/2024/533(1)/22-2-2023 तददिनांक....

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बदायूँ।

2- पुलिस अधीक्षक, बदायूँ।

3- वरिष्ठ अधीक्षक, आदर्श कारागार, लखनऊ।

4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से
विनोद कुमार द्विवेदी
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।